

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक - एफ 1(92) पीएस / निकाशि / 13 / पार्ट / 531

दिनांक - 27.11.2020


प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :- राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम 1986 के तहत नियुक्त संकाय सदस्य के लिए आचार्य पद पर पदोन्नति (सीएस योजनान्तर्गत) से सम्बंधित "CAS PROFESSOR 2020" spread sheet' भरने बाबत।

सन्दर्भ :- आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के पत्र क्रमांक एफ 1(92) पीएस / निकाशि/13/पार्ट/ 209 दिनांक 27.10.2020


उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में लेख है कि आपके महाविद्यालय की gmail पर शेयर की गयी "CAS PROFESSOR 2020" नामक spread sheet में आचार्य पद पर पदोन्नति हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या भरना सुनिश्चित करें। कॉलम संख्या 6 में आज दिनांक 27 नवम्बर 2020 तक प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या भरी जानी है। तत्पश्चात कॉलम संख्या 7 व आगे के कॉलमों में प्रतिदिन प्राप्त आवेदनों की संख्या दिनांक वार भरी जानी है। ध्यान रहे कॉलम संख्या 6 के उपरांत केवल उस दिन प्राप्त आवेदनों की संख्या ही भरनी है न की पूर्व में प्राप्त आवेदनों के साथ जोड़कर।

यह भी ध्यान रखे कि नोडल महाविद्यालय केवल अपने महाविद्यालय से सम्बंधित संकाय सदस्यों द्वारा भरे गए आवेदन पत्रों की संख्या ही भरें। जाँच हेतु प्राप्त अन्य महाविद्यालयों के आवेदनों की संख्या को इसमें सम्मिलित न करें। प्रतिनियुक्त / कार्यव्यस्थार्थ संकाय सदस्यों के आवेदनों की संख्या उनके मूल पदस्थापित महाविद्यालय में भरी जानी है।


27/11/2020
(डॉ. आर. सी. मीना)
संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. वेबसाइट प्रभारी - कृपया विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
3. रक्षित पत्रावली।


27/11/2020
(डॉ. आर. सी. मीना)
संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान